

उत्तर प्रदेश सरकार,
पंचायती राज अनुभाग।
संख्या: 2334/तीति स-।-१४-।५९/१४
लखनऊ, दिनांक ९ मई , 1994

संस्कृत विवरण

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947। संयुक्त प्रान्त
पंचायत विविध संख्या 26 तिति 1947 की पारा १६-के अधीन शक्ति का
प्रयोग दरके राज्यपाल उक्त अधिनियम ली पारा ५ और पारा ११-व
अधीन राज्य सरकार की शक्ति निदेशक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश,
जैसे प्रतिलिपि करते हैं।

(१३०)
उत्तर प्रदेश (५०)

आज्ञा से,

इ डा० यशराम तिंह।
संविद।

१११५। संख्या-2334। १। ३३-।-१४-।५९/१४ तदिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ सर्व आकाशक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- १- निदेशक, पंचायत राज उ०प्र० लखनऊ।
 - २- राज्य निवाचन आयुक्त, पंचायत सर्व स्थानीय निकाय। उ०प्र० लखनऊ।
 - ३- समस्त मण्डलायकता, उ०प्र०।
 - ४- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र०।
 - ५- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र०।
 - ६- पंचायती राज अनुभाग - २/३

आज्ञा से

। देवकृत दीर्घित।
विशेष संचिव।

संख्या-2334। २। ३३-।-१४-।५९/१४ दिनांक ९ मई, 1994

इस्तिलिपि अंग्रेजी भाषाएँ तहित संयुक्त अधीक्षक, राजकीय प्रेस ऐश्वर्य
लखनऊ को इस अन्तर्रोप के ताथै प्रेषित है क्योंकि इस विवरण को ९ मई, 1994
के अनुसारण यज्ञ के विधायी परिषिष्ठ भाग-५ खण्ड। छ। में उच्च प्रान्तीय
लर ८, तथा उसकी ५०० प्रांतीय शासन के पंचायती राज अनुभाग। को हुरन्त
मिलाने की व्यवस्था करे।

आज्ञा से

। देवकृत दीर्घित।
विशेष संचिव।